संख्या सा–3–1797/दस––921/84

प्रेषक,

डा0 जे0 पी0 सिंह,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः दिनांक, 13 फरवरी, 1985

विषय :––पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्य विधि का सरलीकरण ।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस––907/76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा 7 (ग) में यह प्राविधान किया गया था कि पैरा 7(क) तथा (ख) के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली अनन्तिम पेंशन का भुगतान 12 माह तक की अवधि के लिये किया जा सकेगा और यदि 12 माह की अवधि में पेंशन एवं ग्रेच्युटी अन्तिम रूप से निर्धारित न किये जा सके हों, तो 12 माह की अवधि की समाप्ति पर, अनन्तिम रूप से स्वीकृत की गई पेंशन अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई मान ली जायेगी और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी पेंशन तथा आनुतोषिक के अन्तिम भुगतानादेश तद्नुसार अधिकृत किये जायेंगे । तदुपरान्त शासनादेश संख्या सा–3–1004/दस––907–78, दिनांक 11 जुलाई, 1978 के प्रस्तर–2 में यह प्राविधान कर दिया गया कि अनन्तिम पेंशन के भुगतान की अवधि 12 माह के बजाय 6 माह ही रहेगी तथा ग्रेच्युटी की धनराशि से 10 प्रतिशत अथवा 1,000 रु0 जो भी कम हो, की कटौती को 6 माह की अवधि तक ही रोका जायेगा और यदि इस अवधि में कोई देय रिपोर्ट प्राप्त न हो तो रोकी गई धनराशि का 6 माह की समाप्ति पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भुगतान कर दिया जायेगा ।

2––इस प्रकार उपरोक्त प्राविधान के अनुसार जब कि ग्रेच्युटी के अनन्तिम तथा अन्तिम भुगतान में कोई कठिनाई नहीं है, यह अनुभव किया जा रहा है कि अनन्तिम पेंशन के भुगतान हेतु निर्धारित 6 माह की अवधि के समाप्त होने के बाद भी महालेखाकार के स्तर से अन्तिम पेंशन निर्धारित नहीं हो पा रही है और 6 माह की अवधि के बाद अनन्तिम पेंशन भी बन्द हो जाने के कारण सरकारी सेवक को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । वर्णित परिस्थितियों में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या सा–3–1004/दस–907-76, दिनांक 11 जुलाई, 1978 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित 6 माह सम्बन्धी व्यवस्था को इस सीमा तक संशोधित कर दिया जाये कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, सेवा निवृत्ति के बाद 6 माह की अवधि समाप्त होने पर, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अन्तिम रूप से पेंशन निर्धारित न किये जाने की दशा में, 6 माह की अवधि के लिये अग्रेतर अनन्तिम पेंशन और स्वीकृत कर दें । यदि उपर्युक्त 12 माह की अवधि में भी महालेखाकार से अन्तिम रूप से पेंशन निर्धारित न हो तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उक्त अवधि को बढ़ाने के लिये अपने प्रशासकीय विभाग को प्रस्ताव संदर्भित करें जो उसे पुनः 6 माह की अवधि के लिये बढ़ा सकते हैं । प्रशासकीय विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अनन्तिम पेंशन की अवधि के इस प्रकार बढ़ाये जाने के पूर्व इससे आश्वस्त हो जायें कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की अन्तिम पेंशन निर्धारित किये जाने की प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष दोषी नहीं हैं और यदि दोषी हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी करने का कष्ट करें । प्रत्येक दशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष इस बात के लिये सतत प्रयत्नशील रहें कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन अन्तिम रूप से शीघ्रातिशीघ्र निर्धारित हो जाये । सम्बन्धित नियमों में संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी ।

भवदीय,
डा० जे० पी० सिंह,
वित्त सचिव ।

संख्या सा–3–1797(1)/दस–921-84, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) महालेखाकार द्वितीय (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(3) विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय ।
(4) राज्यपाल सचिवालय ।
(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव ।

पी0एस0ए0पी0–ए0 पी0 42 सा0 भाषा––15–3–85(4001)–1985––10,000 (प्रो0) ।